रजिस्ट्री सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05 REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, नवम्बर 30—दिसम्बर 6, 2003, शनिवार/अग्रहायण 9—अग्रहायण 15, 1925
No. 26] NEW DELHI, NOVEMBER 30—DECEMBER 6, 2003, SATURDAY/AGRAHAYANA 9—AGRAHAYANA 15, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

का.नि.आ. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा, नियम, 1979 की अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "ख" से वैज्ञानिक "छ" तक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 से 6 तक के सामने "ऐसे पदों के लिए जिनमें चिकित्सा संबंधी अर्हताओं की अपेक्षा हो" शीर्षक के अधीन स्तंभ 4 (i) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आवश्यक

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता उक्त तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित चिकित्सीय अर्हता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।

या

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की अनुसूची के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में कोई दंत अर्हता''।

[सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/सी/पी/02]

रोजी शर्मा, उप सचिव

पाद टिप्पण :— रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् का.नि.आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 तारीख 05 मई, 1983, का.नि.आ. 176 तारीख 07 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985, का.नि.आ. 186 तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158 तारीख 04 मई, 1987, का.नि.आ. 328 तारीख 25 सितम्बर, 1987, का.नि.आ. 11-ई तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 05 मार्च, 1991, का.नि.आ. 146 तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 24 मार्च, 1992, का.नि.आ. 125 तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34 तारीख 08 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33 तारीख 02 फरवरी, 1998, का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998, का.नि.आ. 119 तारीख 09 जुलाई, 1999 और का.नि.आ. 51 तारीख 27 मार्च, 2003 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 13th November, 2003

S.R.O. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules. 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in Schedule III, against serial Nos. 1 to 6 relating to the posts Scientist 'B' to Scientist 'G', for the existing entries in column 4(i) under the heading "For posts requiring medical qualifications", the following shall be substituted, namely :—

"Essential :

(i) A medical qualification included in the First Schedule or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of Medical qualifications included in Part II of the said Third Schedule should also fulfil the conditions specified in Sub-section (3) of Section 13 of the said Act.

OR

A dental qualification included in the Part I, Part II or Part III of the Schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 1948)".

[No. DHRD/76205/DRDS/C/P/02]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note :— The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978 and subsequently amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May,

1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33 dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100 dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119 dated the 9th July, 1999 and S.R.O. 51 dated the 27th March, 2003.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2003

का.नि.आ. 180 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' और समूह 'घ' (अग्नि शमन सेवा) पद भर्ती नियम, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, सेना आर्डनेंस कोर में अग्नि शमन अधीक्षक, अग्नि शमन मास्टर लीडिंग हैंड फायर 'ख', लीडिंग हैंड फायर 'क' अग्निशमन इंजन चालक 'क' और अग्निशमन इंजन चालक 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर (समूह 'ग' और समूह 'घ' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	1. पद का नाम	:	अग्निशमन अधीक्षक
	2. पदों की संख्या	:	37* (2003)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3.	वर्गीकरण	:	रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अनऔद्योगिक अननुसचिवीय अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	:	5000-150-8000 रु.
5.	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	:	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता
7.	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	लागू नहीं होता
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता·
9.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं होता
11.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
12.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	प्रोन्नति द्वारा : ऐसे अग्निशमन मास्टर जो अपनी श्रेणी में 3 वर्ष अर्हक सेवा कर चुके हों।
13.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	अध्यक्ष : महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी **सदस्य :** (क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी (ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी (ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी (घ) सहायक अग्निशमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय (ङ) निरीक्षक अग्नि शमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जनर्ल/क्यू I (डी), सेना मुख्यालय (च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता।

2. 1. : अग्निशमन मास्टर

2. : 188*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अनऔद्योगिक अननुसचिवीय अराजपत्रित)

4. : 4500-125-7000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता।

7. : लागू नहीं होता।

8. : लागू नहीं होता।

9. : लागू नहीं होता।

10. : लागू नहीं होता।

11. : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

12. : **प्रोन्नति द्वारा :** लीडिंग हैंड (अग्निशमन) 'ख' और अग्निशमन इंजन चालक 'ख' जो अपनी श्रेणी में 5 वर्ष अहंक सेवा कर चुके हों किन्तु यह इस बात के अधीन रहते हुए होगा कि वह डीआईएफआर, दिल्ली से ज्येष्ठ अग्निशमक पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से अधीनस्थ अधिकारी पाठ्यक्रम की अर्हता रखते हों।

13. : **अध्यक्ष :** महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी

सदस्य :

(क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी

(ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी

(ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी

(घ) सहायक अग्निशमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(ङ) निरीक्षक अग्नि शमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जर्नल शाखा/क्यू I (डी), सेना मुख्यालय

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. : लागू नहीं होता।

3. 1. : लीडिंग हैंड फायर 'ख'

2. : 347*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अनऔद्योगिक अननुसचिवीय अराजपत्रित)

4. : 4000-100-6000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता।

7. : लागू नहीं होता।

8. : लागू नहीं होता।

9. : लागू नहीं होता।

10. : लागू नहीं होता।

11. : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

12. : **प्रोन्नति द्वारा** : ऐसा लीडिंग हैंड अग्निशमन समूह 'क' जो अपनी श्रेणी में 8 वर्ष अर्हक सेवा कर चुका हो।

प्रतिनियुक्ति : (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में सदृश पद धारण करने वाले या 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा कर चुका व्यक्ति।

(ii) ऐसी शैक्षिक अर्हता रखते हों जो लीडिंग हैंड फायर 'क' और फायरमैन के पास हो।

13. : **अध्यक्ष** : महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी

सदस्य :

(क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी

(ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी

(ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी

(घ) सहायक अग्निशमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(ङ) निरीक्षक अग्नि शमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जर्नल शाखा/क्यू I (डी), सेना मुख्यालय

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. : लागू नहीं होता।

4. 1. : लीडिंग हैंड फायर 'क'

2. : 347*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अनऔद्योगिक अननुसचिवीय अराजपत्रित)

4. : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता।

7. : लागू नहीं होता।

8. : लागू नहीं होता।

9. : लागू नहीं होता।

10. : लागू नहीं होता।

11. : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

12. : **प्रोन्नति द्वारा :** ऐसा फायरमैन जो उस श्रेणी में तीन वर्ष अर्हक सेवा कर चुका हो।

13. : **अध्यक्ष :** महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी

सदस्य :

(क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी

(ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी

(ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी

(घ) सहायक अग्निशमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(ङ) निरीक्षक अग्नि शमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जर्नल शाखा/क्यू I (डी), सेना मुख्यालय

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. : लागू नहीं होता।

5. 1. : अग्निशमन इंजन चालक 'ख'

2. : 347*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अराजपत्रित अनऔद्योगिक अननुसचिवीय)

4. : 4000-100-6000 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता।

7. : लागू नहीं होता।

8. : लागू नहीं होता।

9. : लागू नहीं होता।

10. : लागू नहीं होता।

11. : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

12. : **प्रोन्नति द्वारा :** अग्निशमन इंजन चालक समूह 'क' जो 8 वर्ष अर्हक सेवा कर चुका हो।

प्रतिनियुक्ति : (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में सदृश पद धारण करने वाले या 3050-4590 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा कर चुका व्यक्ति।

(ii) ऐसी शैक्षिक अर्हता रखते हों जो अग्निशमन इंजन चालक 'क' और फायरमैन के पास हो।

13. : **अध्यक्ष :** महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी

सदस्य :

(क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी

(ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी

(ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी

(घ) सहायक अग्निशमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(ङ) निरीक्षक अग्निशमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जर्नल शाखा/क्यू I (डी), सेना मुख्यालय

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. : लागू नहीं होता।

6. 1. : अग्निशमन इंजन चालक 'क'

2. : 347*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'ग', में सिविलियन (अनऔद्योगिक अननुसचिवीय अराजपत्रित)

4. : 3050-75-3950-80-4590 रु.

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता।

7. : लागू नहीं होता।

8. : लागू नहीं होता।

9. : लागू नहीं होता।

10. : लागू नहीं होता।

11. : शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

12. : **प्रोन्नति द्वारा :** ऐसा फायरमैन जो विधिमान्य भारी यान चालन अनुज्ञप्ति रखता हो और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष अर्हक सेवा कर चुका हो ।

13. : **अध्यक्ष :** महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट ब्रिगेडियर की पंक्ति का एक अधिकारी

सदस्य :

(क) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल की पंक्ति का एक अधिकारी

(ख) सेना आर्डनेंस कोर से भिन्न सेना/सेवाओं के कर्नल/लेफ्टीनेंट कर्नल/मेजर की पंक्ति का एक अधिकारी

(ग) महानिदेशक, आर्डनेंस सेवा, सेना मुख्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट सेना मुख्यालय का एक अधिकारी

(घ) सहायक अग्नि शमन सलाहकार, रक्षा मंत्रालय

(ङ) निरीक्षक अग्नि शमन सेवा, क्वार्टर मास्टर जर्नल शाखा/क्यू 1 (डी), सेना मुख्यालय

(च) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का एक समूह 'ख' अधिकारी, यदि उपलब्ध हो।

14. : लागू नहीं होता।

7. 1. : फायर मैन

2. : 2826*
(2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : रक्षा सेवा समूह 'घ', में सिविलियन (अराजपत्रित अनऔद्योगिक अननुसचिवीय)

4. : 2750-4400 रु.

5. : अचयन

6. : 25 वर्ष से अनधिक

7. : लागू नहीं होता

8. : मैट्रिकुलेशन के साथ किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से अग्निशमन पाठ्यक्रम/अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणपत्र

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12. : **आमेलन :** रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नतर विरचना में सदृश या उच्चतर पदों पर कार्यरत व्यक्ति जो स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हता रखते हों।

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता।

[फा. सं. बी./13031/एफ एस/ओएस-8 सी (ii)/13/रक्षा(नि.)/आर.आर.]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 2003

S.R.O. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence Group 'C' and Group 'D' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 1976, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Fire Superintendent, Fire Master, Leading Hand Fire 'B', Leading Hand Fire 'A', Fire Engine Driver 'A' and Fire Engine Driver 'B' in the Army Ordnance Corps, namely :—

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps (Group 'C' and 'D' posts Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. Name of the post	:	Fire Superintendent
2. Number of posts	:	37* (2002) *Subject to variation depending on workload
3. Classification	:	Civilian in Defence Services, Group 'C', (Non-Industrial, Non-Ministerial Non-Gazetted)
4. Scale of pay	:	Rs. 5000-150-8000
5. Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority or Non-selection post	:	Non-selection
6. Age limit for direct recruits	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	Not applicable
8. Educational and other qualification required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	Not applicable

10.	Period of probation, if any	:	Not applicable
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	:	By 100% promotion
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	:	**By Promotion :** Fire Master with three years qualifying service in the grade.
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters. **Members :** (a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters. (b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/ Services other than Army Ordnance Corps. (c) One officer of Army Headquarters nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters. (d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence. (e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D), Army Headquarters. (f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	:	Not applicable.

2. 1. : Fire Master

2. : 188*
(2002)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services, Group 'C', (Non-Industrial, Non-Ministerial; Non-Gazetted)

4. : Rs. 4500-125-7000

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By 100% promotion

12. : **By Promotion :**
LH (Fire) 'B' and FED 'B' with five years of qualifying service in the grade subject to possessing qualification of senior Fire Supervisors Course from DIFR Delhi or Sub Officer Course from National Fire Service College, Nagpur.

13. : **Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

Members :

(a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps.

(c) One officer of Army Headquarters nominated by the Director General Ordnance Services.

(d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence.

(e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D).

(f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.

14. : Not applicable.

3. 1. : LHF 'B' (Leading Hand Fire 'B')

2. : 347*
(2002)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial)

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By 100% promotion failing which by deputation

12. : **By Promotion :**
Leading Hand Fire 'A' with eight years qualifying service in the grade.

Deputation :

(i) Persons in the Central/State Government, holding analogous posts or in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with eight years of service in the grade.

(ii) Having educational qualification as possessed by leading Hand Fire 'A' and Fireman.

13. : **Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

Members :

(a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps.

(c) One officer of Army Headquarters nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence.

(e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D).

(f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.

14. : Not applicable.

4. 1. : LH (Fire) 'A' (Leading Hand Fire 'A')

2. : 347*
(2002)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial)

4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By 100% promotion

12. : **By Promotion :**
Fireman with three years qualifying service in the grade.

13. : **Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

Members :

(a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps.

(c) One officer of Army Headquarters nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence.

(e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D), Army Headquarters.

(f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.

14. : Not applicable.

5. 1. : FED 'B' (Fire Engine Driver 'B')

2. : 347*
(2003)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial)

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By 100% promotion failing which by deputation

12. : **By Promotion :**
Fire Engine Driver 'A' with eight years of qualifying service.

By Deputation :

(i) Person in the Central State Government, holding analogous posts or in the pay scale of Rs. 3050-4590 with eight years of service.

(ii) Having educational qualification as possessed by Fire Engine Driver 'A' and Fireman.

13. : **Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

Members :

(a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps.

(c) One officer of Army Headquarters nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence.

(e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D), Army Headquarters.

(f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.

14. : Not applicable.

6. 1. : FED 'A' (Fire Engine Driver 'A')

2. : 347*
(2003)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Industrial, Non-Ministerial)

4. : Rs. 3050-75-3950-80-4590

5. : Non-Selection

6. : Not applicable

7. : Not applicable

8. : Not applicable

9. : Not applicable

10. : Not applicable

11. : By 100% promotion

12. : **By Promotion :**
Fireman with three years qualifying service in the grade after appointment possessing a valid heavey vehicle driving licence.

13. : **Chairman :** One officer of the rank of Brigadier nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

Members :

(a) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel nominated by the Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(b) One officer of the rank of Colonel/Lt Colonel/Major of Arms/Services other than Army Ordnance Corps.

(c) One officer of Army Headquarters nominated by Director General Ordnance Services, Army Headquarters.

(d) Asst Fire Advisor, Ministry of Defence.

(e) Inspector Fire Services, Quarter Master General Branch/Q1 (D), Army Headquarters.

(f) One Group 'B' officer of the Scheduled Caste/the Tribe community, if available.

14. : Not applicable.

7. 1. : Fireman

2. : 2826*
(2003)
*Subject to variation depending on workload.

3. : Civilian in Defence Services, Group 'D', (Non-Gazetted, Non-Industrial)

4. : Rs. 2750-4400.

5. : Non-Selection

6. : Not exceeding 25 years

7. : Not applicable

8. : Matriculation and certificate of having undergone a Fire course/fire service training from an institute of repute

9. : Not applicable

10. : 2 years

11. : By absorption, failing which by direct recruitment

12. : **Absorption :**
Persons working in analogous or higher posts in the lower formation, under the Ministry of Defence and having the qualifications specified in column 8.

13. : Not applicable

14. : Not applicable.

[F. No. B/13031/FS/OS-8C(ii)/13/D (Apptts)/RR]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.